Volume-2, No. II, Aug-2015, pp. 97-99

दलित मुक्ति आन्दोलन में डॉ0 अम्बेडकर और महात्मा गांधी का योगदान

श्रीमती शशी बाला, शोध छात्रा (समाज शास्त्र)
वैंकटेशवर यूनिवर्सिटी,गजरौला, अमरोहा उ.प्र. भारत।
डॉ0 अशोक कुमार जैन, सेवानिवृत्त
एशोशियट प्रोफेसर, एम.एम.एच. कॉलेज, गाजियाबाद उ.प्र. भारत।

20 वीं शताब्दी में भारतीय समाज के राष्ट्र निर्माण में डॉ0 अम्बेडकर की मुख्य भूमिका रही है। वे दार्शनिक ही नहीं, कर्मयोगी भी थे। उनके गतिशील एवं बहुआयामी व्यक्तित्व ने भारतीय समाज में ही नहीं अपितु विश्वभर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। जिसको भुला पाना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। डॉ0 अम्बेडकर ने अपने व्यक्तित्व एवं विचारों को अनेक रूपों में अभिव्यक्त किया है–'' वह एक गंभीर स्कॉलर, अद्भुत बुद्विजीवी, प्रसिद्व वकील संवैधानिक विद्वान कुशल, महान शिक्षाविद्, सच्चे देशभक्त समर्पित कार्यकर्ता, सामाजिक न्याय के रक्षक, रचनात्मक लेखक, अछूत, गरीबों के मसीहा, सशक्त संवाददाता कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक, महान प्रोफेसर एवं प्राचार्य, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और इनमें भी बढ़कर एक सच्चे मानववादी विचारक थे।' ये सभी गुण उनके व्यक्तित्व में समाहित थे। उन्होनें समता, स्वतंत्रता तथा भातृत्व से प्रभावित होकर समस्त हिन्दुओं में एक हलचल पैदा कर दी थी जिससे वे अपनी कुरीतियों एवं बुराइयों को समाप्त कर सके। वे जाति–वर्ण तथा छूआछूत के कट्टर विरोधी थे। उनका स्पष्ट मानना था कि यदि समाज के ढॉचे और उसके क्रियाकलापों में आवश्यक सुधार नहीं हुये तो भारतीय समाज और विशेषकर हिन्दू समाज छिन्न–छिन्न हो जायेगा। अस्पृश्यता हिन्दू धर्म की सबसे भीषण सामाजिक बुराइयों में से एक है। डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार '' हिन्दू धर्म में अस्पृश्यता ही वह अवगुण है जिसने समाज में करोड़ों लोगों को नीचे, संस्कारहीन, अशिक्षित और मर्यादाहीन बनाकर रख दिया है। उन्होनें अस्पृश्यतता की तुलना जहर के उस एक बूँद से की है जिससे घड़ा भर दूध विषमय बन जाता है।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, दलित वर्ग सदियों से हर दृष्टि से शोषित वर्ग रहा है, जिस कारण भारतीय समाज में एक स्थायी पूर्वाग्रह व्याप्त हो गया है। उनका कहना था कि एक शोषित समुदाय होने के कारण दलित वर्ग को राजनीतिक संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिये उन्होने दलित वर्ग पर अत्यधिक बल दिया। उन्होने हर मंच से कहा कि, मै दलितों के लिये राजनीतिक शक्ति चाहता हूँ, सत्ता में उनकी भागीदारी चाहता हूँ, राजनीतिक शक्ति के बिना उसका उत्थान सम्भव नहीं है।

दलित वर्ग की उत्पत्ति एवं उसके ऊपर थोपी गयी नियोग्यिताओं का सदियों पुराना इतिहास है। इस वर्ग को न केवल अमानवीय जीवन जीने को मजबूर किया गया अपितु स्थिति पशु से भी अधिक बढ़तर थी। दलित कुऍ से पानी नहीं पी सकते और तालाब पर जाने का भी अधिकार उन्हें नहीं था। ऐसी जटिल स्थिति में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने 'महार सम्मेलन' की अध्यक्षता करते हुये दलितों को सम्मान दिलाने का बीड़ा उठाया। डॉ0 अम्बेडकर ने सबको संबोधित करते हुये कहा–''मेरा ब्राहमणों से निवेदन है कि वे दलितों के साथ गिरा हुआ व्यवहार न करें।'' उन्होने कहा कि वे दलितों को अच्छी दृष्टि से देखें क्योंकि वे भी उन्ही के भाई बन्धु है। सरकार को चाहिये कि वे अछूतों को नौकरी दे। डॉ0 अम्बेडकर ने कहा कि सरकार अछूत विधार्थियों को छात्रवृत्ति और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराये। दलित विधार्थियों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। उन्हें भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

डॉ0 अम्बेडकर के भाषण से सभी लोगों में एक उम्मीद की किरण जाग गई। अगले ही दिन अम्बेडकर के साथ सभी दलितों ने कुऍ व तालाब से पानी पिया एवं उसके बाद जुलूस के लोगों ने वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश किया। अम्बेडकर ने कहा– ''अधिकार दिये नहीं जाते और न कोई दिलाता है, अगर अधिकार चाहिये हो तो उसके लिये लड़ों। अधिकार मांगने से कभी नहीं मिलता बल्कि आगे बढ़कर छीनना पड़ता है।''

डॉ0 अम्बेडकर समाज में प्रचलित, अन्याय, शोषण एवं अत्याचार से लड़ रहे थे, हिन्दू धर्म एवं समाज व्यवस्था से उन्हें तथा दलित वर्ग को केवल उपेक्षा एवं प्रताड़ना ही मिली थी फिर भी उनका देश प्रेम कम नहीं था। उनकी दो इच्छाए थी कि भारत महान बने एवं सामाजिक अन्याय समाप्त हो। बाबा साहब अपने विचारों और व्यवहार में संतुलन बनाकर चलने वाले व्यक्ति थे उनका मानना था कि संसार में कुछ भी जड़ नहीं है, कुछ भी शाश्वत और सनातन नहीं है। वह मानते थे कि संसार में प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है क्योंकि परिवर्तन मानव और समाज का धर्म है। वे चाहते थे कि एक आदर्श समाज में अनेक वर्ग रहे, वे एक दूसरे के हितों को समझकर सहयोगी बने। इस तरह वे दलित आन्दोलन को एक नयी दिशा देते हुये कहते हैं–

''अछूत समाज की प्रगति में बाधक बनने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था हो, वह चाहे अछूत समाज की हो अथवा सवर्ण हिन्दू समाज को उसका हमें तीव्र विरोध एवं निषेध करना चाहिये।''

1928 में भारत दौरे पर आये साइमन कमीशन के समक्ष डॉ0 अम्बेडकर ने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया क्योंकि दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के उद्देश्य से वे किसी भी अवसर को खोना नहीं चाहते थे। जॉन साइमन से उन्होने कहा कि–' दलितों को अल्पसंख्यक रूप अब तक इसलिये छिपा रहा है, क्योंकि वे हिन्दू समाज में गिने जाते थें वास्तविकता यह है कि हिन्दू समाज और दलितों को जोड़ने वाली कोई कड़ी नहीं है। जिस आधार पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसी आधार पर हम अपने लिये भी प्रतिनिधित्व की मांग करते है। व्यस्क मताधिकार का चलन हो तो हम अपने लिये आरक्षित सीटे चाहते है। कमीशन की ओर से पूछा गया यदि व्यस्क मताधिकार का चलन न हो तो ? डॉ0 अम्बेडकर का जबाब था हम निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करेंगे। इसके साथ ही हम सुरक्षा के कुछ और उपाय भी चाहते है। कमीशन के एक अन्य सवाल पर उनका कहना था कि '' वास्तविकता यह है कि हम हिन्दू समाज के अंग नहीं है।''

12 नवम्बर 1930 ई0 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में डॉ0 अम्बेडकर ने बहुत ही सशक्त ढंग से अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व किया और ओजस्वी भाषण दिये। दलितों की मांगों के संबंध में गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक समिति तथा संघीय शासन व्यवस्था समिति में विचार हुआ और यह निर्णय लिया गया कि 80 या 90 प्रतिशत सीटें पृथक निर्वाचन से भरी जायेगी तथा शेष आम चुनाव द्वारा इसी संदर्भ में महिलाओं के लिये भी सीटें सुरक्षित करने का निश्चय हुआ। इस सम्मेलन में डॉ0 अम्बेडकर की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि मूल अधिकारों की बात मान ली गई। कांग्रेस ने भी डॉ0 अम्बेडकर के प्रति अपने नजरिये में परिवर्तन किया। पुलिस विभाग में भी दलितों की भर्ती प्रारम्भ हो गई ।

गांधी जी और डॉ0 अम्बेडकर की पहली मुलाकात 14 अगस्त, 1931 को बम्बई के मणि भवन में हुई। इस मुलाकात तक गांधी जी डॉ0 अम्बेडकर को अपनी तरह का एक सवर्ण समाज सुधारक नेता समझते थे। इस मुलाकात में गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण के लिये अपने और कांग्रेस के प्रयासों का जिक्र किया। '' जवाब में डॉ0 अम्बेडकर ने एक विस्तृत विवरण इस बात का दिया कि कांग्रेस और स्वंय महात्मा जी ने अछूतों को किस प्रकार मात्र प्रस्तावों से अंधकार में बनाए रखा। कांग्रेस ने सिद्वांत के बजाय शक्ति की बड़ी चिंता की। उसने सत्ता को महत्व दिया, वादों को नही। हिन्दुओं में दलितों के प्रति कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है।

पहले गोलमेज सम्मेलन में दलितों को प्रतिनिधत्व डॉ0 अम्बेडकर और दीवान बहादुर आर. श्रीनिवासन ने किया। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री रमेज मेक डोनाल्ड की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी को डॉ0 अम्बेडकर और दलित नेताओं ने एक 'अल्पसंख्यक पैक'– करके दिया। जिसमें दलितों के आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों की मांग एवं रक्षा के लिये पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की गई । दलितों की पृथक निर्वाचन की मांग मानते हुये ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 'कम्यूनल अवार्ड' की घोषणा की। जिसके विरोध में गांधी जी 'यरवदा जेल' में आमरण अनशन पर बैठ गए और अन्ततः डॉ0 अम्बेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितम्बर, 1932 को 'पूना पैक्ट' नामक समझौता हुआ।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितम्बर 1931 ई0 में प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी एवं डॉ0 अम्बेडकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। अंततः महात्मा गांधी के रूख को देखकर प्रतिनिधियों ने मिलकर एक अल्पसंख्यक पैक्ट तैयार किया जिसके अनुसार मुसलमानों को दस वर्ष तक तथा दलितों को 20 वर्ष तक पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रस्तावित हुआ। इसमें यह भी तय हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने मूलवंश, धर्म जाति या उपजाति के कारण नौकरी, प्रशासनिक अधिकार या सम्मान अथवा नागरिक अधिकार का उपयोग करने से किसी को वंचित नहीं करेगा। इस प्रकार 01 दिसम्बर 1931 को गोलमेज परिषद का द्वितीय अधिवेशन समाप्त हो गया।

भारत के राजनैतिक वातावरण में कम्यूनल अवार्ड की घोषणा होते ही भूचाल सा आ गया। गांधी जी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने 04 मार्च 1932 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल (पुणे) भेज दिया। गांधी जी ने जेल से ही एक पत्र वायसराय को लिखा। उस पत्र में लिखा था–''दलित वर्ग के लिये अलग से आरक्षण देकर आप देश के साथ अन्याय करेंगे। इस तरह हमारा भारत टुकड़ों में बंट जायेगा। मैने आमरण अनशन जारी कर दिया है। अछूतों को जिन्हे में हरिजन कहता हूँ, समाज से अलग नहीं किया जायेगा। ये भारतीय समाज में रहेंगे, जिसे हिन्दू धर्म कहा जाता है। इन्हे समाज से अलग करने का अधिकार किसी को नही है।''

गांधी जी प्राणपण से दलितोद्वार में जुट गये, क्योंकि उन्होने दलितों के दुःख को समझा था। गांधी जी ने कहा था 'अस्पृश्यता जीती रहे इसके बजाय मैं यह अधिक पसंद करूँगा कि हिन्दू धर्म का नाश हो जाये। ईसाई या मुसलमान अछूत भले ही हो जाए उसे मै

ग्रहण कर लूँगा, परंतु इस तरह हिन्दू समाज की होने वाली खाना–खराबी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती।

गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को अस्पृश्यता उन्मूलन एवं हरिजन उत्थान का अभिन्न अंग बना दिया। उन्होने हरिजनों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का समर्थन किया। भारत सरकार से उन्होने 'रंगा अय्यर अस्पृश्यता निवारण बिल' की क्रियान्वयन की सिफारिश की। गांधी जी ने पूरे देश में हरिजन बस्तियों का सघन दौरा किया तथा हरिजनों की सेवा कर उनके तार तादाम्य स्थापित किया।

इस प्रकार, हरिजन समस्या एवं अस्पृश्यता निवारण की दिशा में कार्य करने वाले डॉ0 अम्बेडकर एवं गांधी जी के विचारों में गंभीर मतभेद परिलक्षित होते हैं, गांधी जी एवं डॉ0 अम्बेडकर में मतभेद चाहे कितना रहा हो इसमें कोई संदेह कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राजनीतिक आजादी की मांग के साथ–साथ दलित समस्या को भी आंदोलन का हिस्सा बनाया। गांधी जी दलित समस्या का निराकरण सवर्ण एवं हरिजनों में विरोध व संघर्ष उत्पन्न करके नहीं, अपितु सत्य और अहिंसा पर आधारित क्रांति के माध्यम से करना चाहते थे। गांधी जी ने अस्पृश्यता को हिन्दू समाज पर एक काला धब्बा निरूपित किया। उनका कहना था मै अपने आपको हिन्दू कहना छोड़ दूँगा, यदि शास्त्र वर्तमान अस्पृश्यता का समर्थन करते है। गांधी जी का कहना था यदि हिन्दू धर्म को जीवित रखने के लिये अस्पृश्यता की समाप्ति अधिक आवश्यक है।

डॉ0 अम्बेडकर और गांधी जी के दलित चिन्तन से संबधी विचारों से यह स्पष्ट है कि दोनो के जीवन संदर्भ और कार्यक्षेत्र अलग थे। डॉ0 अम्बेडकर ने दलितों में आत्मसम्मान की भावना जगाई, जिन्हें हिन्दू समाज में सदियों से आत्महीन बना दिया था। उन्होने छूआछूत के विरूद्व दलितों को खड़े होने की प्रेरणा दी और शिक्षण संस्थाओं का जाल विछाकर दलितों को आधुनिक जीवन जीने की दिशा में प्रवृत्त किया। गांधी जी भी अस्पृश्यता के विरूद्व सवर्णो की पथराई हुई अंतरात्मा को झकझोरने, उनको गलती महसूस कराने, उनमें पूर्वजों और खुद अपनी अमानुशिकता के लिये पापबोध जागृत करने का कार्य कर रहे थे। सवर्ण हिन्दुओ में न्याय बुद्वि जगाने का और पश्चाताप का भाव जगाने का गांधी जी का प्रयत्न देश में दलितों की स्थिति को देखते हुये भी सही था।

संदर्भ

1. अम्बेडकर आचार विचार संहिता–डी0आर0जाटव, पृ0111
2. डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर, धनंजय कीर, पृ 13।
3. डॉ0 आर0पी0 वर्मा, डॉ0 अम्बेडकर और उनका आंदोलन श्री नटराज प्रकाशन दिल्ली पृ 89 ।
4. पीपुल्स एजुकेशन सोसायटी, सिल्वर जुबली स्मारिका से उदृत।
5. डॉ0 पिताम्बर दास– डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का मानववाद, कला प्रकाशन, वाराणसी, पृ0 6 ।
6. डॉ0 बाबा साहब आंबेडकरांची भाषणे, खण्ड–6, सं,म.फ.गांजरे, पृ. 55–56।
7. डॉ0 बी0आर अम्बेडकर का राजनीतिक दर्शन, पृ 245 ।
8. भारत रत्न डॉ0 अम्बेडकर स्मारिका जन्म शताब्दी 14 अप्रैल 1992 पृ 50 ।
9. डॉ0 लक्ष्मी कौल, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर कला प्रकाशन, वाराणसी, पृ 67 ।
10. डॉ0 आंबेडकरांची धम्म–क्रांतिः महास्थविर संघर , पृ0 12।
11. इंदिरा रदरफुड, महात्मा गांधी, हरिजन, गांधी मार्ग 1979 पृ 263
12. डॉ0 भीमराव अम्बेडकर–कांग्रेस तथा गांधी ने अछूतों के लिये क्या किया, सम्यक प्रकाशन दिल्ली पृ 100 ।
13. डॉ0 आर0पी0वर्मा, डॉ0 अम्बेडकर और उनका आंदोलन, श्री नटराज प्रकाशन दिल्ली, पृ 90।
14. अम्बेडकर आचार–विचार संहिता– डी0आर0 जाटव, पृ0 111